



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276575  
CG-DL-E-29092026-276575

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 43]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

आ.अ. 43(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 29 सितम्बर, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

## सारणी

| राज्य        | रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी               | सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1)          | (2)                                                       | (3)                                                        |
| उत्तर प्रदेश | श्री अजीत कुमार वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा | श्री नीरज कुमार सचान, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा |
| उत्तराखंड    | श्री हेम चन्द्र पन्त, प्रभारी सचिव, उत्तराखंड विधान सभा   | श्री लक्ष्मीकान्त उनियाल, अनु सचिव, उत्तराखंड विधान सभा    |

[फा. सं. 318/रा.स.-मल्टी/3/2026(2)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2026

**O.N. 43(E).**— In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 29<sup>th</sup> September, 2026: -

TABLE

| States        | Returning Officer                                                            | Assistant Returning Officer                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1)           | (2)                                                                          | (3)                                                                           |
| Uttar Pradesh | Shri Ajit Kumar Verma, Special Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly | Shri Neeraj Kumar Sachan, Joint Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly |
| Uttarakhand   | Shri Hem Chandra Pant, Secretary in charge, Uttarakhand Legislative Assembly | Shri Laxmikant Uniyal, Under Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly      |

[F. No. 318/CS-Multi/3/2026(2)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.